हुक्म या कार्यवाही मय इनिशिवल्स जज	नम्बर व ता. अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

5/24

पीठासीन अधिकारी अवकाश/राजकार्य/चुनाव कार्य में व्यस्त है। पत्रावली पूर्वत दिनांक 8 को पेश हो
पदरिक्त
रीडर 8/24
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मांगरोल जिला बारां

8/8/24

पत्रावली पेश हुई वकुलाय फरीकेन उपस्थित, पी.ओ. सा. का पद रिक्त होने से पत्रावली पूर्वत दिनांक 11/7/24 को पेश हो।

13/6/25

पत्रावली क्रम नम्बर 1 पेशी से शिफर आज प्राप्त हुई। वादिया का पुत्र श्यामस्वरूप उपस्थित। रकबा शुद्धि के लिए LR act की धारा 136 में अनुतोष चाहा है विधिक नियमों के आलोक में 136 LR act में केवल लिपिकीय अशुद्धियाँ ही ठीक की जा सकती है। रकबा कमी-भूमि हेतु प्रार्थी 88, 89 RT act में वाद दायर कर अनुतोष प्राप्त कर सकता है। यदि कमी हुई आराजी किसी पड़ोसी खातेदार के कब्जे काश्त में है तो उसे भी पक्षकार बनाकर 183 RT act में दिलीम प्राप्त कर सकती है। उक्त प्रार्थना पत्र विधिसंगत नहीं होने से खारिज होने योग्य है। खारिज किया जाता है। निर्णय सरे इजलास पढ़कर सुनाया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

श्याम स्वरूप उपस्थित है रकबा को वादिया का पुत्र बताता है, कुल को आई स्व बहन है जिसे भी एक आई मृत हो चुकी है। 136 में वाद चलने योग्य नहीं है 88, 89 RT में दावा करें। जिसने कब्जा कर रखा है उसे भी पक्षकार बनावें। बाबूलाल रावत का कब्जा होना बताया।
श्याम 13/6/25

अंजना सहरावत
उपखण्ड अधिकारी
मांगरोल